

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 27] No. 27] नई दिल्ली, जून 26—जुलाई 2, 2011, शनिवार/आषाढ़ 5-आषाढ़ 11, 1933

NEW DELHI, JUNE 26—JULY 2, 2011, SATURDAY/ASADHA 5—ASADHA 11, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 199.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे (अधीक्षक) भर्ती नियम, 2004 और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1983 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे में सहायक इंजीनियर और किनष्ठ इंजीनियर के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे, सहायक इंजीनियर और किनष्ठ इंजीनियर, समृह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2011 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना.—यह नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- **3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

2316 GI/2011 (793)

- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - **5. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा के आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			अनुसूची		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक इंजीनियर	5* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समृह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	ਕੇतन ਕੈਂड 2, 9300— 34800 ਨ. + ग्रेड ਕੇतन 4600 ਨ.	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई ह
	(7)		(8)	(9)
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
द्वारा या प्रतिनियुवि	: भर्ती सीधे होगी या म्त/आमेलन द्वारा तथा व जाने वाली रिक्तियों की	विभिन्न अ	ोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमे नामेलन किया जाएगा	ालन द्वारा भर्ती की दश	॥ में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुवि
વહ્કાતવા દ્વારા મરા					
	(10)			(11)	

ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

(11)

टिप्पण 1: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 2: पहली जनवरी, 2006 की प्रास्थिति में नियमित रूप से नियुक्त ज्येष्ठ तकनीकी सामृहिक रूप से तकनीकी से ज्येष्ठ होगा।

टिप्पण 3: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय !	प्रोन्नति समिति है, तो	उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा			
	(12)		(13)			
निम्नलिखित रें 1. अपर निदेश अनुसंधान रें 2. ज्येष्ठ अनुस विद्युत अनुस 3. केन्द्रीय सरव से कोई समृ 4. मुख्य प्रशास	पे मिलकर बनेगी :- क, केन्द्रीय जल और	विद्युत — अ य जल और — स त्रालय/विभाग — स	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2. कनिष्ठ इंजीनियर	48* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 2, 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष तक । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की आयु में पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने	

(6)

के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी (न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालेंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(7)

(8)

(9)

किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सिविल/यांत्रिक/विद्युत/इलैक्ट्रोनिक्स/ कम्प्यूटर/आटो मोबाइल इंजीनियरी में डिप्लोमा ।

लागू नहीं होता

दो वर्ष

टिप्पण: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

(10)

(11)

सीधी भर्ती

लागू नहीं होता

टिप्पण 1: पदधारियों की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी. —

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपबंधित अर्हताएं हैं।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

(13)

पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

- 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत —अध्यक्ष अनुसंधान शाला, पुणे
- 2. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और —सदस्य विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(12)			
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग से कोई समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य		
 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे 	—सदस्य		

[फा. सं. 2/2/2008-स्था. II] ललन प्रसाद शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 20th July, 2011

- **G.S.R.** 199.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune (Suprintendent) Recruitment Rules, 2004, and the Central Water and Power Research Station, Pune (Group 'C') Recruitment Rules, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Engineer and Junior Engineer in the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, Assistant Engineer and Junior Engineer, Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Application.**—These rule shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- **4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.
 - **5. Disqualifications.**—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-serviceman and other special Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

		SCHE	DULE			
Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non- Ministerial	Pay Band-2 Rs. 9300— 34800+ Grade Pay Rs. 4600	Selection	No	Not applicable	
and other quali	fications required	quali direc	fications present recruits will	cribed for if any	f probation,	
(8)			(9) (10)			
Not applicable			Not applicabl	e Not ap	plicable	
r by promotion ad percentage of arious methods	n or by deputation of the vacancies t	/ gra	de from which	promotion or deputation		
				(12)		
Tiomonon		Jun Not for offi pay Pay rene bas whe of p	to Engineer wate 1: For the purpromotion, the cer prior to 1st J structure based Commission had dered in the conducted on the recommerce there has been any into one gradere this benefit de pay or pay s	pose of computing minime e service rendered on a anuary, 2006 or the date of t	num qualifying service a regular basis by an from which the revised as of the Sixth Centra e deemed to be service or pay scale extended by Commission excep- one pre-revised scale e pay or pay scale and post(s) for which tha	
	(2) 5* (2011) *Subject to variation dependent on workload. (8) Not applicable cruitment: Wer by promotion and percentage of	(2) (3) 5* (2011) General *Subject Central to variation Service, dependent Group 'B', on Non-Gazetted, workload. Non- Ministerial and other qualifications required (8) Not applicable cruitment: Whether by direct r by promotion or by deputation ad percentage of the vacancies to arious methods (11)	Number of posts Classification of posts Classification of pay Band and Grade Pay or Pay Scale (2) (3) (4) 5* (2011) General Pay Band-2 *Subject Central Rs. 9300— to variation Service, 34800 + dependent Group 'B', Grade Pay on Non-Gazetted, Rs. 4600 workload. Non-Ministerial and other qualifications required for where qualifications required for grading direct case (8) Not applicable Cruitment: Whether by direct r by promotion or by deputation/ grading percentage of the vacancies to arious methods (11) Promotion Promotion	and Grade Pay or post post or non-selection post (2) (3) (4) (5) 5* (2011) General Pay Band-2 Selection Pay Scale *Subject Central Rs. 9300— to variation Service, 34800 + dependent Group 'B', Grade Pay on Non-Gazetted, Rs. 4600 workload. Non-Ministerial Mot applicable Cruitment: Whether by direct r by promotion or by deputation/ dependenced of the vacancies to arious methods (11) Promotion Promotion: Junior Engineer w Note 1: For the pur for promotion, the officer prior to 1st J pay structure based Pay Commission he rendered in the cobased on the recom where there has be of pay into one grawhere this benefit	Number Classification of posts Pay Band	

1st January, 2006 will be en-block senior to the Technician.

(12)

Note 3: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment (14)		
(13)			
Group 'B' Departmental Promotion Committee for promotion, consisting of :—	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.		
 Additional Director, Central Water and —Chairman Power Research Station, Pune 			
 Senior Research Officer, Central Water —Member and Power Research Station, Pune 			
3. A Group 'A' Officer from any other Ministry or Department of the Central Government			
 Chief Administrative Officer, Central Water — Member and Power Research Station, Pune 			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Junior Engineer	48* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non- Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300— 34800 plus Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Upto 30 years (Relaxable for Government servants upto the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi

(7) Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands Lakshadweep). (8)(9) (10)Diploma in Civil/Mechanical/Electrical/Electronics/ Not applicable Two years Computer/Auto mobile Engineering from a recognised Institute. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. (11)(12)Direct Recruitment. Not applicable **Note 1:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,— (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; and (b) possessing the qualifications provided for direct recruitments under column 8. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(13)	(14)			
Group 'B' Departmental Promotion Committee for	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.			
confirmation, consisting of :—				
 Additional Director, Central Water and —Chairman 				
Power Research Station, Pune				
2. Senior Research Officer, Central Water — Member				
and Power Research Station, Pune				
3. A Group 'A' Officer from any other —Member				
Ministry or Department of the				
Central Government				
4. Chief Administrative Officer, Central Water — Member				
and Power Research Station, Pune				